[11/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 299]

कार्यालय ग्राम पंचायत कदवालिया (खोड़ी)
जनपद पंचायत बड़वाह,
जिला खरगोन (म.प्र.) 451115

178 पंचा./2024 कदवालिया दिनांक – 22/11/24

अतिआवश्यक

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधि.
जिला पंचायत,खरगोन(म.प्र.)
22 NOV 2024
शाखा– प. पंचा.
स.परि/परि.अधि. मु.का.अधि.

प्रति,
1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला खरगोन।
3. श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत खरगोन
4. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग बड़वाह एवं सक्षम अधिकारी म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बड़वाह
6. श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जनपद पंचायत बड़वाह
7. श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,पुलिस थाना बड़वाह

ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के किए गए निमार्ण संरचनाओं को हटाये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने के संबंध में।

कृपया ग्राम पंचायत के पत्र कमांक 176/2024 कदवालिया दिनांक 28.10.2024 के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें ग्राम पंचायत के द्वारा श्रीमान के कार्यालय को यह सूचित किया गया था कि ASSOCIATE ALCHOHAL AND BREWERIES LTD KHODI GRAM BARWAH DIST KHARGONE को ग्राम पंचायम के द्वारा पत्र कमांक 151/पंचा/2024 दिनांक 13.09.2024, रजिस्टर्ड डाक RI850046205IN के माध्यम से दिनांक 18.09.2024 को एवं पत्र कमांक 161/पंचा/2024 कदवालिया दिनांक 07.10.2024 को रजिस्टर्ड डाक RI897354411IN के माध्यम से दिनांक 07.10.2024 को स्मरण पत्र प्रेषित करते हुए भवन निर्माण अनुमति के दस्तावेज 15 दिवस में कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

परन्तु सूचना पत्रों एवं स्मरण पत्र के तामिल हो जाने एवं निर्धारित समयावधि पूर्ण हो जाने के पश्चात भी कम्पनी के द्वारा दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है,जिससे यह तथ्य और अधिक प्रबल रूप से स्थापित होता है कि आपके द्वारा निर्मित किये गये कारखाने के निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत से विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं की गई है?

अतः इस संबंध में कम्पनी को अंतिम बार अवगत कराया था कि यदि उसके द्वारा निर्माण कार्य कि ग्राम पंचायत से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो तो वह अनुमति 07 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा कि स्थिति में ग्राम पंचायत की बगैर अनुमति के निमार्ण का किया जाना म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के उपबन्धों के प्रतिकूल होकर अवैध होता है, जिसके लिए आपके प्रतिष्ठान के विरूध्द म.प्र. ग्राम पंचायत (संरचनाओं तथा वृक्षों को हटाने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 1999 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

अतः आपको अंतिम अवसर देते हुए पुनःसूचित किया गया था कि भवन निर्माण अनुमति के दस्तावेज यह सूचना पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करे। अन्यथा आपके प्रतिष्ठान के विरूध्द म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं म.प्र. ग्राम

सचिव
ग्राम पंचायत कदवालिया
जनपद पंचायत बड़वाह

सरपंच
ग्राम पंचायत कदवालिया
जनपद पंचायत बड़वाह

पंचायत (संरचनाओं तथा वृक्षों को हटाने संबंधी शक्ति) नियम, 1999 में उपबन्धों के अधीन संरचनाओं को हटाने कि कार्यवाही की जाएगी। जिस पर होने वाले समस्त व्यय तथा परिणामों के लिए आपका प्रतिष्ठान उत्तरदायी होगा। आपको यह भी अवसर दिया जाता है कि भवन निर्माण अनुमति के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जा सकने कि स्थिति में संरचना को हटाये जाने की कार्यवाही के पूर्व आप उक्त समायावधि में अपनी मूल्यवान वस्तुऐ, मशीनरी इत्यादि सामग्री निमार्ण स्थल से हटा ले, अन्यथा कि स्थिति में ग्राम पंचायत कि कोई जवाबदेही नहीं होगी।

महोदय उक्त सूचना की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक कम्पनी के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है। जिससे कि कम्पनी को दिया गया अन्तिम अवसर भी समाप्त हो गया है।

प्रार्थना

मानीय अधिकारीगणों से ग्राम पंचायत कदवालिया की और से विनम्र प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के किए गए निमार्ण संरचनाओं को हटाये जाने के संबंध में राजस्व विभाग का दायित्व निर्धारित किया गया है अथवा उक्त विषय में राजस्व विभाग के अमले को शक्तियां प्राप्त है तो कृपया ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करेगें, श्रीमान के मार्गदर्शन की प्रतिक्षा में।

सचिव
ग्राम पंचायत कदवालिया
जनपद पचायत बड़वाह

सरपंच
ग्राम पंचायत कदवालिया
जनपद पंचायत बड़वाह

प्रतिलिपि:–

ASSOCIATE ALCHOHAL AND BREWERIES LTD KHODI GRAM BARWAH DIST KHARGONE बड़वाह की और भेजकर पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया आप पंचायत राज का सम्मान करते हुए भवन निर्माण अनुमति के दस्तावेज प्रस्तुत करे। यह भी सूचित किया जाता है कि जिला प्रशासन से बल उपलब्ध होते ही संरचना को हटाने कि कार्यवाही ग्राम पंचायत के द्वारा कर दी जाएगी।